न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 195/2021

1. प्रभूदयाल कौशिक पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई त0 भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. छाजूराम पुत्र श्योप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई त0 भादरा।
2. रामपाल शर्मा पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई त0 भादरा।?
3. मुरारीलाल पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई त0 भादरा।
4. भरतलाल पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई त0 भादरा।
5. रोहताश पुत्र छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई त0 भादरा।
6. सालू रानी पुत्री छाजूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई त0 भादरा।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
8. पंजाब नैशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रोहताश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 100/96 के खसरा सं0 462 की 9.8890है कुल 9.8890है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 छाजूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 छाजूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रभूदयाल कौशिक, प्रतिवादी सं0 2 रामपाल शर्मा, प्रतिवादी सं0 3 मुरारीलाल, प्रतिवादी सं0 4 भरतलाल व प्रतिवादी सं0 5 रोहताश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 व 6 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/08/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner